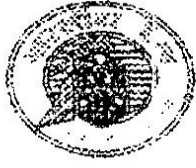


3 pages



441
1/233/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-2-22

क्रमांक-233/2017

आरबीई सं०-160/2017

सं० ई/227/2/भाग-15/चार

दिनांक: 9-11-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभाग अध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-रेलों पर टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अन्तर्गत खिलाड़ियों की भर्ती-फील्ड ट्रायलों की वीडियो ग्राफी के बारे में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी दिनांक 25.10.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)
उपमार्का/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

2
23/2/17

RBE No. 164/2017
Clarification/Corrigendum No. 86

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

New Delhi, dated 15.10.2017

No. 2014/E(Sports)/4(1)/1/Policy

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

NER विषय: Recruitment of sportspersons against Sports Quota through Talent Scouting and Open Advertisement on the Railways-Videography of field trials regarding.

सन्दर्भ: Board's letter of even number dated 10.02.2014 (RBE No. 19/2014).

300 Attention is invited to Board's policy letter dated 10.02.2014 under reference, laying down the provision of videography of field trials conducted for recruitment against sports quota, both through Talent Scouting and Open Advertisement from financial year i.e. 2014-15, for a period of 3 years, on trial basis.

The matter has been reviewed in Board's office. It is advised that videography of field trials for recruitment against sports quota, both through Talent Scouting and Open Advertisement may be continued in order to maintain transparency in the interest of fair selections.

Please acknowledge receipt.

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

7.11.17.

796
27/11

3
23/2017

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 25.10.2017

महाप्रबंधक (पी),

सभी क्षेत्रीय रेलें

चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., रे.को.फै., आरडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता सहित

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला,

महानिदेशक, अ.ज.मा.सं./लखनऊ

विषय: रेलों पर टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती-फील्ड ट्रायलों की वीडियोग्राफी के बारे में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 10.02.2014 का समसंख्यक पत्र (आरबीई नं. 19/2014).

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 10.02.2014 के संदर्भाधीन नीति पत्र की ओर दिलाया जाता है जिसमें ट्रायल के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए वित्त वर्ष अर्थात् 2014-15 से टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन दोनों के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए किए गए फील्ड ट्रायलों की वीडियोग्राफी का प्रावधान निर्धारित किया गया था।

इस मामले की बोर्ड कार्यालय में समीक्षा की गई है। यह सूचित किया जाता है कि टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन दोनों के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए फील्ड ट्रायलों की वीडियोग्राफी निष्पक्ष चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जारी रखी जाए।

कृपया पावती दें।

(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स)